...व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
10-06-24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात जाहिर है कि प्रकरण संस्थापन दिनांक 18-10-2016 के बाद आदिनांक तक ऐसा कोई साक्ष्य प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया गया जिससे प्रमाणित हो कि प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थीगण को अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण के अनुतोष के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)